www.facebook.com\rashtriyasahara https://twitter.com/SaharaRashtriya www..rashtriyasahara.com

राष्ट्रीय सहारा

राष्ट्रीयता ■ कर्त्तव्य ■ समर्पण

■ नई दिल्ली ■ लखनऊ ■ गोरखपुर ■ पटना
■ कानपुर ■ देहरादून ■ वाराणसी से प्रकाशित

नई दिल्ली

बृहस्पतिवार • 15 दिसम्बर • 2016

16 पृष्ठ, मूल्य ₹ 3.50

दिव्यांगों को मिले और अधिकार

■ नई दिल्ली (एसएनबी) ।

दिव्यांगों से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक को राज्यसभा ने बुधवार को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। इसमें निशक्तजनों से भेदभाव किए जाने पर दो साल तक की कैद और अधिकतम पांच लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। दिव्यांगों की श्रेणी में तेजाब हमले के पीड़ितों को भी शामिल किया गया है। निशक्त व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संधि और उसके आनुषंगिक विषयों को प्रभावी बनाने वाला निशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक 2014 काफी व्यापक है और इसके तहत दिव्यांगों की श्रेणियों को सात से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचन्द गहलोत के प्रस्ताव पर सदन ने संक्षिप्त चर्चा के बाद इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया।

दिव्यांगों को अधिक सशक्त बनाने वाला बिल रास में सर्वसम्मति से पारित